राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

"वित भवन" जनपथ, जयपुर–302015
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः– एफ. 3(ख)/डीपीसी/अलेसे–II/2018–19/927 दिनांकः– 06/08/2018

कार्यालय आदेश

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12180/ 2018 द्वारा श्री रामावतार प्रजापति (मेरिट नं. 352/2011), श्री उपेन्द्र नारायण लक्षकार (मेरिट नं. 349/2011), श्री जितेन्द्र कुमार (मेरिट नं. 348/2011), श्री कृष्ण कुमार सागर (मेरिट नं. 345/2011), श्री दिनेश कुमार सोनी (मेरिट नं. 340/2011) एवं श्री अशोक कुमार (मेरिट नं. 351/2011) बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर बैंच ने अपने निर्णय दिनांक 01.06.2018 द्वारा निर्देशित किया है कि "In case, a representation is so addressed within the aforesaid period, the State-respondents are directed to consider and decide the same by a reasoned and speaking order as expeditiously as possible in accordance with law. However, in no case later than ten weeks from the date of receipt of the representation alongwith a certified copy of this order."

प्रकरण में उक्त 6 सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II से प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया। उक्त 6 सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I बैच 2011 के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II हैं। उक्त सभी की राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा जारी मैरिट तथा कार्यग्रहण तिथि निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	नाम स.ले.अ. ग्रेड–II	मैरिट क्रमांक	प्रथम नियुक्ति तिथि
1	श्री रामावतार प्रजापति	352/2011	08.12.2015
2	श्री उपेन्द्र नारायण लक्षकार	349/2011	08.12.2015
3	श्री जितेन्द्र कुमार	348/2011	08.12.2015
4	श्री कृष्ण कुमार सागर	345/2011	14.12.2015
5	श्री दिनेश कुमार सोनी	340/2011	07.12.2015
6	श्री अशोक कुमार	351/2011	08.12.2015

इस बिन्दु का परीक्षण किया गया। यह सत्य है कि श्री मनोज कुमार बंशीवाल (मेरिट नं. 357/2011) एवं श्री राजेश कुमार सोनी (मेरिट नं. 393/2011) बैच के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II हैं तथा कार्मिको की वरिष्ठता राजस्थान लोक सेवा आयोग की मैरिट के अनुसार उपरोक्त 6 से कनिष्ठ है। किन्तु इन दोनो कार्मिकों की कार्यग्रहण तिथि उक्त 6 सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II से पूर्व की है। श्री बंशीवाल एवं श्री सोनी की प्रथम नियुक्ति तिथि निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	नाम स.ले.अ. ग्रेड–II	मैरिट क्रमांक	प्रथम नियुक्ति तिथि
1	श्री मनोज कुमार बंशीवाल	357/2011	04.02.2013
2	श्री राजेश कुमार सोनी	393/2011	24.07.2013

यह सत्य है कि अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिको की वरिष्ठता राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी मैरिट अनुसार निर्धारित होती है तथा कनिष्ठ कार्मिक को अधिक वेतन प्राप्त करने पर वरिष्ठ कार्मिक का वेतन भी उसके समान किए जाने का प्रावधान है। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त नियम लागू नहीं होते क्योंकि समान वेतन चाहने वाले 6 सहायक

लेखाधिकारी ग्रेड–II के कनिष्ठ कार्मिको के भी बाद में राज्य सेवा ... तथा वार्षिक वेतन वृद्धि एक वेतन स्थिरिकरण कर्मचारी की सेवा अवधि के आधार पर होते है न कि राजस्थान लोक सेवा आयोग मैरिट अनुसार। 6 सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II द्वारा श्री मनोज बंशीवाल एवं श्री राजेश कुमार सोनी के समान वेतन देय होने का आवेदन किया है। श्री मनोज बंशीवाल ने 04.02.2013 एवं श्री राजेश कुमार सोनी ने 24.07.2013 को कार्यग्रहण किया है जबकि 6 सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II की कार्यग्रहण तिथि लगभग दो वर्ष से अधिक समय के पश्चात् कार्यग्रहण किया है। अतः विलम्ब से कार्यग्रहण करने पर कनिष्ठ कार्मिकों के समान वेतन पाने के हकदार नहीं है। अतः श्री रामावतार प्रजापति (मेरिट नं. 352/2011), श्री उपेन्द्र नारायण लक्षकार (मेरिट नं. 349/2011), श्री जितेन्द्र कुमार (मेरिट नं. 348/2011), श्री कृष्ण कुमार सागर (मेरिट नं. 345/2011), श्री दिनेश कुमार सोनी (मेरिट नं. 340/2011) एवं श्री अशोक कुमार (मेरिट नं. 351/2011) की मांग स्वीकार योग्य नहीं है।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांकः– एफ. 3(ख)/डीपीसी/अलेसे–II/2018–19/ 927 दिनांकः– 08/8/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्षक कृपया पालना सुनिश्चित करावें।
2. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II को पालनार्थ।
3. निजी सहायक निदेशक, महोदय।
4. निजी/गार्ड फाईल।
5. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट) हेतु।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)

D:\SAS-II\sas-ii\Kamal ji\order